

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन की अदायगी के लिए प्रार्थना पत्र
(दो प्रतिलिपियों में प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में

लेखा अधिकारी

महोदय,

मैं अपनी पेंशन का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (स्थान.....) तथा शाखा से प्राप्त करना चाहता हूं तथा इस संबंध में उपयुक्त व्यवस्था हेतु अनिवार्य विवरण निम्न प्रकार है।

1. पेंशनभोगी का विवरण

(अ) नाम

(ब) पीपीओ सं०

(स) वर्तमान पता

2. एसबीआई की अधिकृत शाखा का विवरण

(अ) नाम

(ब) शाखा जहां से भुगतान चाहिए

3. पेंशनभोगी का एस.बी./चालू खाता संख्या तथा वह शाखा जहां पेंशन की राशि जमा की जानी है।

भवदीय

(पेंशनभोगी)

स्थान:

दिनांक :

(नॉन ज्वायंट या 'दोनों में एक या जीवित व्यक्ति' का एकाउंट)

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर का नमूना (स्पेशिमन)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

टी.आर. संख्या 37
ट्रेजरी नियम 349(1)

प्रति वर्ष
परिवार*

पेंशन बिल

रु0 से अधिक नहीं

पेंशन भुगतान आदेश (पेंशन पेमेंट आर्डर)
संख्या

ज्ञापन: अनुरोध है कि यह फार्म अगले बिल को प्रस्तुत करते समय उपयोग में लाया जाए।

जिला	लेखा शीर्ष आईसीएआर पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	वर्ष 20..... के लिए भुगतान की सूची का वाउचर संख्या.....
20.....के माह के लिए मुझे देय पेंशन का भुगतान प्राप्त किया		
आय कर को घटाकर		
शुद्ध राशि रु0.....(शब्दों में रु0.....)		

(मोहर सहित हस्ताक्षर)

(i) मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने इस बिल में किए गए पेंशन दावे की अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों या किसी अन्य प्रतिष्ठान में जिसे राज्य या स्थानीय निधि द्वारा भुगतान किया गया हो ऐसे किसी भी प्रकार की सेवा से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

(ii) मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरा पुनर्विवाह नहीं हुआ है।

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में
मेरे द्वारा प्रमाणित

हस्ताक्षर-----

दिनांक
पेंशनभोगी का पता

*केवल राजनैतिक पेंशनभोगियों के मामले में भरा जाए।

केवल पारिवारिक पेंशन के लिए लागू

यदि लागू न हो तो काट दें

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की दशा में प्रमाण पत्र दें (उन मामलों को छोड़कर जिनमें किसी नियम या आदेश के तहत इस प्रकार के प्रमाण पत्र वांछनीय हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनभोगी को देखा है तथा वह इस तिथि को जीवित है और इस बिल पर मेरे सामने पेंशनभोगी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

दिनांक

नाम-----

पदनाम-----

पृष्ठांकन जिस पर पेंशनभोगी द्वारा हस्ताक्षर दिए जाने हैं।

उस मामले में जब पेंशन महालेखाकार के कार्यालय से आहरित की गई हो	यदि बिल की शुद्ध राशि रू0 250 प्रतिमाह से अधिक है तो कृपया बैंक द्वारा भुगतान करें।
उस मामले में जब पेंशन किसी ट्रेजरी या अन्य वितरण कार्यालय से आहरित हो	पेंशनभोगी यदि बिल की शुद्ध राशि रू0 250 या इससे कम है तो ----- को भुगतान करें। पेंशनभोगी कृपया भुगतान करें। पेंशनभोगी

रू0----- (रू0-----) का भुगतान करें।

वित्त एवं लेखा अधिकारी
भा.कृ.अ.प.

ट्रेजरी या उप-ट्रेजरी
का प्रभारी अधिकारी
वितरण अधिकारी

भुगतान प्राप्त किया

लेखा में सम्मिलित किया गया

संदेशवाहक या अभिकर्ता के हस्ताक्षर

लेखाकार

पहचानकर्ता -----

हस्ताक्षर-----

नाम एवं पदनाम

यहां पर पेंशनर का नाम दें। उसकी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पहचान की जानी चाहिए जिसे वितरण अधिकारी पहचानता हो।
नोट :-उस दशा में जब किसी बीमा कंपनी को भुगतान किए गए प्रीमियम पर आयकर की छूट का दावा किया गया हो तो बिल के साथ उसक कंपनी को भुगतान की गई राशि की रसीद संलग्न की जाए।

फार्म टी.आर. 37ए
(नियम 366 के नीचे टिप्पणी देखें)

मृत्यु-कम-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की निकासी हेतु बिल
आईसीएआर पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ

लेखा शीर्ष :

वाउचर संख्या.....

कम्प्यूटर कोड संख्या: 102601

ग्रेच्युटी प्राप्तकर्ता का नाम :

आईसीएआर के सक्षम अधिकारी (अथारिटी) का पत्र संख्या और दिनांक

मृत्यु-कम-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी.....	राशि	
कटौती घटाकर	रु0	पैसा
.....		
कुल कटौतियां		
भुगतान योग्य शुद्ध राशि		
भुगतान के लिए वांछित शुद्ध राशि.....		
रु0 का भुगतान करें	हस्ताक्षर	
.....	पता.....	
.....		
ट्रेजरी अधिकारी श्री.....को भुगतान करें		
जांच की और हस्ताक्षरित		
ट्रेजरी लेखाकार आहरण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
महालेखाकार कार्यालय द्वारा "उपयोग" हेतु		
रु0.....के भुगतान हेतु स्वीकृत.....		
आपत्ति		
आपत्ति का प्रकार		
लेखा सहायक	अनुभाग अधिकारी	वित्त एवं लेखा अधिकारी

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

ई-भुगतान द्वारा प्राप्तकर्ता के विवरण हेतु प्रारूप
(प्रत्येक भुगतान/बिल के साथ दो प्रतियां प्रस्तुत की जाएं)

(कालम 1 से लेकर 7 तक भुगतान प्राप्तकर्ता/खाता धारक द्वारा भरा जाए)

1. खाता धारक/संविदादाता का नाम :
 2. खाते की प्रकृति (बचत खाता/चालू खाता) :
 3. बैंक का नाम :
 4. बैंक खाता संख्या :
 5. शाखा का पता :
 6. बैंक/शाखा का आईएफएससी कोड :
 7. शुद्ध राशि :
- (सभी कटौतियों को चुकाने के बाद/
प्राप्तकर्ता के खाते में जमा की गई) :

खाता धारक के हस्ताक्षर नाम व पदनाम (सेवारत कर्मचारी)	खाता धारक के हस्ताक्षर पेंशनभोगी का नाम (सेवा निवृत्त कर्मचारी)	खाता धारक के हस्ताक्षर संविदादाता/आपूर्तिकर्ता मोहर व पता
--	---	--

.....
(आकस्मिक/नकद/पेंशन अनुभाग)

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्तकर्ता का उपर्युक्त विवरण का सत्यापन कर लिया गया है तथा वह सही है।

रु0 (शब्दों में) रु0..... की राशि जैसा
कि कालम संख्या 7 में उल्लेख है को कालम संख्या 4 तथा 6 पर दिए गए बैंक एकाउंट के अनुसार ई-पेमेंट
द्वारा जमा किया जाए।.....

जांच की और सत्यापित किया

हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और अनुभाग

हस्ताक्षर
आहरण एवं वितरण अधिकारी/आरएओ/अनुभाग अधिकारी, पेंशन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

श्री....., भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली के संबंध में पेंशन
तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों की गणना
अधिवार्षिक पेंशन

1.	(अ) सरकारी कर्मचारी का पूरा नाम	श्री		
	(ब) पिता का नाम			
2.	जन्म तिथि			
3.	नियुक्ति की तिथि			
4.	वह तिथि जब से आईसीएआर में सेवा की गणना की गई			
5.	अधिवार्षिक पर सेवा निवृत्ति की तिथि			
6.	पेंशन प्रारंभ होने की तिथि			
7.	क्या सेवा के सत्यापन का प्रमाणपत्र दर्ज है। यदि नहीं, तो वह अवधि जिसे रिकार्ड नहीं किया गया			
8.	क्या कर्मचारी प्रान्तीय सेवा में रहा है, यदि हां तो उस अवधि का उल्लेख करें			
9.	(अ) क्या प्रांतीय/राजकीय सेवा के तहत सेवाकाल में पेंशन से संबंधित देनदारियों की गणना की गई है और दावा अधिमान्य है।			
	(ब) वाह्य सेवा/ क्या एल.एस. और पी.सी. प्राप्त की गई है, यदि नहीं तो एल.एस. और पी.सी. के दावे के लिए क्या कार्रवाई की गई।			
10.	क्या रिलीफ (सहायता) मान्य है या नहीं			
11.	रिलीफ की दर क्या है			
12.	क्या पारिवारिक पेंशन/डी.सी.आर.जी. प्राप्त हुई है, यदि नहीं तो फेमिली पेंशन के मामले में क्या परिवार के सदस्यों का विवरण दिया गया है।			
		वर्ष	माह	दिन
13.	राज्य सरकार के तहत सेवा (यदि राय न प्रकट की गई हो इस सेवा छोड़ दिया जाए)			
	भारत सरकार के अंतर्गत सेवा			
	भा.कृ.अ.प. के अंतर्गत सेवा			
14.	कुल सेवा			
15.	नॉन क्वालीफाइंग (अनअर्हक) सेवा अवधि (ई.ओ.एल./ब्रेक इत्यादि)			
16.	अनअर्हक सेवा को घटाने के बाद क्वालीफाइंग सेवा			
17.	कुल क्वालीफाइंग सेवा (न्यूनतम 20 अर्धवार्षिक तथा अधिकतम 66 अर्धवार्षिक) नियम 49			
18.	भुगतान का स्थान	भा.कृ.अ.प. मुख्यालय		
19.	अंतिम आहरित वेतन/परिलब्धियां 1.7.2012 से लागू	रु0 /-		
20.	से औसत परिलब्धियां	लागू नहीं		

पेंशन

- टिप्पणी:-
1. सभी मामलों में औसत का 50 प्रतिशत
 2. परिलब्धियों से आशय है जैसा की आरआर 9 (21(ए) i) में दिया गया है।
'वेतन से आशय है सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम 1986 के तहत संशोधित वेतनमान
 3. औसत परिलब्धियों का निर्धारण किसी सरकारी सेवक द्वारा उसके सेवाकाल के अंतिम 10 महीनों के दौरान आहरित परिलब्धियों के आधार पर होगा।
 4. (i) उस अवधि के लिए जिस दौरान वेतन पूर्व संशोधित वेतनमान में आहरित किया गया है- मूल वेतन + वास्तविक डीए, एडीए (सीपीआई-608 तक), तदर्थ डीए तथा अंतरिम सहायता जो कि प्रासंगिक अवधि के दौरान 31.12.1985 की दरों पर लागू थी, के अनुसार मूल वेतन तथा (ii) उस अवधि के लिए जिस दौरान वेतन संशोधित वेतनमान में आहरित किया गया - संशोधित वेतनमान में मूल वेतन।

गणना

से	मूल वेतन	608 प्वाइंट तक डीए/एडीए	तदर्थ डीए	अंतरिम सहायता I* II	कुल एमओ X	राशि
लागू नहीं						
कुल						
औसत परिलब्धियां			= प्रतिमाह			

स्वीकार्य पेंशन

अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत	रु0...../-	33 वर्षों की अर्हता सेवा के लिए	रु0 /-
रु0 3500 की न्यूनतम पेंशन के विषयाधीन			

डी.सी.आर. ग्रेच्युटी

टिप्पणी: 1. उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हक सेवा (क्वालीफाइंग सेवा) पूरी की है, उनके सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति-ग्रेच्युटी उनके प्रत्येक 6 माह की अर्हता सेवा की अवधि पूरी होने पर परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी जो कि कुल परिलब्धियों के अधिकतम 16.5 गुना के विषयाधीन होगी बशर्ते कि किसी भी हालत में सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी 10 लाख से अधिक नहीं होगी।

2. सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में मृत्यु-ग्रेच्युटी निम्नलिखित दरों के अनुसार स्वीकार्य होगी:-

(i) एक साल से कम	परिलब्धियों का 2 गुना
(ii) एक साल या अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 6 गुना
(iii) 5 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
(iv) 20 वर्ष या अधिक	अर्हता सेवा अवधि के प्रत्येक 6 माह पूर्ण करने की अवधि हेतु परिलब्धियों का आधा बशर्ते किसी भी हाल में मृत्यु-ग्रेच्युटी एक लाख से अधिक नहीं होगी।

डीसीआर ग्रेच्युटी के लिए परिलब्धियां

अंतिम आहरित वेतन + अंतिम आहरित वेतन पर डीआर (सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के समय)	परिलब्धियां
रु0 /- रु0 /- (डीए की दर)	रु0 /-

ग्रेच्युटी की गणना

i) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी	$\frac{\text{रु0} \times \text{X}}{4}$	रु0 /-	किंतु 10,00,000 /- तक सीमित
ii) मृत्यु ग्रेच्युटी	उपरोक्त टिप्पणी 2 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अंतिम आहरित वेतन $\frac{\text{रु0} \times \text{X}}{2}$	रु0 /-	

1. स्वीकृत डीसीआरजी की राशि			रु0
2. एनपीसी/एलडीसी सतर्कता क्लियरेंस इत्यादि के कारण रोकी गई राशि (कम करना)	एनडीसी		रु0 1,000
डीसीआरजी का शुद्ध बकाया	एलपीसी		रु0

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन की गणना	$\frac{\text{रु0} \times 30}{100}$	रु0 /- प्रतिमाह
-------------------------	------------------------------------	-----------------

* न्यूनतम रु0 3,500 के विषयाधीन

सामान्य पारिवारिक स्वीकार्य पेंशन रु0 /- प्रतिमाह

बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन

क) सामान्य पारिवारिक पेंशन का दुगुना (रु0 x 2)	रु0 /-
ख) अंतिम आहरित परिलब्धियों का 50 प्रतिशत (आहरित एल.पी. ÷ 2)	रु0 /-
ग) सेवानिवृत्ति पेंशन	
जो भी कम हो उसे अंडरलाइन किया जाए	रु0 /-

कम्यूटेशन पेंशन

स्वीकृत पेंशन	रु0 /- प्रतिमाह
जन्मतिथि	
कम्यूटेशन के आवेदन की तिथि	
राशि विनिमय (कम्यूटेड) (पेंशन x 40 प्रतिशत)	रु0
अगली जन्मतिथि जब वहकी आयु प्राप्त कर लेगा	
कम्यूटेटिंग तालिका के अनुसार स्वीकार्य दर 7.982 प्रतिशत	
गणना	$\text{रु0} \times \text{X} \times \text{X}$ रु0 /- या रु0 /-

डीलिंग सहायक

अनुभाग अधिकारी

उपनिदेशक (वित्त)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

पत्र संख्या / —पेंशन

दिनांक

सेवा में

उपनिदेशक (वित्त)
पेंशन अनुभाग, भा.कृ.अनु.प.
कृषि भवन, नई दिल्ली

विषय: श्री.....पीपीओ संख्या.....तथा जीपीओ संख्या.....
के संबंध में रोकी गई राशि को जारी करना।

महोदय,

इस कार्यालय के दिनांक..... के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में जो कि
को डी.सी.आर. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए अनुमति देने के संबंध में है, आपको यह सूचित करना है कि
परिषद कोके संबंध में 'अंतिम वेतन प्रमाणपत्र' तथा 'नो डिमांड सर्टिफिकेट' प्राप्त हो
चुका है तथा उन पर कोई बकाया नहीं है। अतः उन्हें उक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने के कारण रोकी गई
डी.सी.आर. ग्रेच्युटी की राशि रु0.....(रु0.....) का भुगतान करने का
अनुरोध है।

भवदीय

(एस.के.पाठक)
उपनिदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित:

1. श्री..... को इस अनुरोध के साथ कि वे डी.सी.आर. ग्रेच्युटी की रोकी गई
राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी (पेंशन), भा.कृ.अनु.प. से संपर्क करें।
2. उपसचिव (प्रशासन)
3. रोकड़ 1 अनुभाग

(सतीश कुमार)
अनुभाग अधिकारी (पेंशन)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

पत्र संख्या 1...../.....पेंशन

दिनांक

सेवा में

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (पेंशन)
पेंशन अनुभाग, भा.कृ.अनु.प.
कृषि भवन, नई दिल्ली

विषय: श्री.....पूर्व(पीपीओ संख्या.....
तथा जीपीओ संख्या) के संबंध में ग्रेच्युटी कीप्रतिशत की दर से अंतर का भुगतान।

महोदय,

इस कार्यालय के दिनांक..... के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में यह कहना है कि दैनिक भत्ते की दर मेंप्रतिशत वृद्धि के कारण डॉ./श्री/श्रीमती..... के डी.सी.आर.जी. में संशोधन कर उसे रु0.....(रुपया.....) से रु0.....(रुपया.....) कर दिया गया है। अतः रु0.....(रुपया.....) के अंतर का उन्हें भुगतान किया जाना है। उनकी एलपीसी/एनडीसी के कारण रु0 1000/- की राशि अभी भी रोक कर रखी गई है।

भवदीय

वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित:

1. श्री.....
2. अवर सचिव (प्रशासन)
3. रोकड़ 1 अनुभाग

(सतीश कुमार)
अनुभाग अधिकारी (पेंशन)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

पत्र संख्या 1...../.....पेंशन

दिनांक

सेवा में

वित्त एवं लेखाधिकारी (पेंशन)
पेंशन अनुभाग, भा.कृ.अनु.प.
कृषि भवन, नई दिल्ली

विषय: श्री.....पूर्वके पीपीओ संख्या.....
.....तथा जीपीओ संख्या.....के संबंध में पेंशन के कम्युटेशन के पश्चात संशोधन ।

महोदय,

इस कार्यालय के दिनांक..... के समसंख्यक पत्र के आंशिक संशोधन में यह कहना है कि रु0.....
..... (रु0.....) अधिवार्षिक पेंशन में से रु0..... (रु0.....)
की राशि के कम्युटेशन के परिणाम स्वरूप श्री..... की पेंशन राशि दिनांक..... से घटकर
रु0.....प्रतिमाह (रु0.....प्रतिमाह) हो गई है । अतः मैं एतद्वारा श्री
का संशोधित पेंशन भुगतान आदेश संख्या को अग्रेषित कर रहा हूं जिसमें उनकी घटी हुई पेंशन की स्वीकृत राशि
को रु0..... (रु0.....प्रतिमाह) से रु0..... (रु0.....प्रतिमाह)
अधिसूचित किया गया है।

उन्हें अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। वे आगे से दिनांक.....से रु0..... की दर
से अपनी पेंशन पाने के हकदार होंगे।

श्री.....को तदनुसार सूचना दी जा रही है। कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (पेंशन)

पेंशन अनुभाग

कार्यालय ज्ञापन सं० 38/37/08-पी एण्ड पीडब्ल्यू (ए) दिनांक 1.9.2008, 28.1.2003 तथा 13.2.2013 के अनुसार यह श्री/श्रीमती----- पूर्व-----, पीपीओ सं०----- के पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के संबंध में है। क्योंकि श्री/श्रीमती-----पहले से ही दिनांक 28.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं। अतः नीचे दी गई गणना सीट के अनुसार दिनांक 28.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन को संशोधित करना उनके लिए लाभप्रद नहीं होगा।

सूचना हेतु प्रस्तुत।

पेंशन अनुभाग

कार्यालय ज्ञापन सं० 38/37/08-पी एण्ड पीडब्ल्यू (ए) दिनांक 1.9.2008, 28.1.2003 तथा 13.2.2013 के अनुसार यह श्री/श्रीमती----- पूर्व-----, पीपीओ सं०----- के पेंशन/पारिवारिक पेंशन की पेंशन को संशोधन कर दिया गया है।

गणना सीट और मसौदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पेंशन अनुभाग

कार्यालय ज्ञापन सं० 38/37/08-पी एण्ड पीडब्ल्यू (ए) दिनांक 1.9.2008, 28.1.2003 तथा 13.2.2013 के अनुसार यह श्री/श्रीमती----- पूर्व-----पीपीओ सं०-----के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के संबंध में है। क्योंकि श्री/श्रीमती-----को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन को छठे वेतन आयोग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1.9.2008 के अनुसार पहले ही संशोधित किया जा चुका है। अतः उनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन को अब कार्यालय ज्ञापन सं० 28.1.2013 और 13.2.2013 के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।

गणना सीट और मसौदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

फा0 सं0 -----पेंशन

दिनांक

सेवा में,

प्रबंधक

भारतीय स्टेट बैंक (सी एंड आई प्रभाग)

मुख्य शाखा, संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

विषय: भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के माध्यम से आईसीएआर पेंशन का भुगतान
महोदय,

मैं उपरोक्त विषय पर परिषद के पत्र सं0 1 (1)/76-लेखा परीक्षा-1, दिनांक 4 अगस्त, 77 के पत्र का हवाला देते हुए आईसीएआर पेंशनभोगी के पेंशन से संबंधित कागजातों को अग्रेषित कर रहा हूँ ताकि उन्हें भविष्य में एसबीआई-----की शाखा कोड सं0-----के माध्यम से पेंशन के भुगतान की व्यवस्था की जा सके। पेंशन भोगी का पूर्ण विवरण तथा उसके पेंशन से संबंधित कागजात निम्न हैं:-

1. पेंशनभोगी का नाम और उसका पेंशन भुगतान आदेश सं0 -----
2. भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का नाम -----
तथा उसका सेविंग बैंक खाता सं0 जिसमें भुगतान-----
किया जाना है
3. वह तिथि जब से एसबीआई की शाखा द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाना है -----
4. पेंशन एवं सहायता की मासिक राशि का विवरण जिससे बैंक द्वारा भुगतान किया जाना है -----

अवधि	पेंशन	दैनिक भत्ता सहायता	चिकित्सा भत्ता	प्रतिमाह कुल राशि	
	रु0	रु0	रु0		
		डीए की दर से			

उन्हें परिषद द्वारा पूरी पेंशन और सहायता का भुगतान -----तक किया जा चुका है। अपनी पेंशन के एक भाग को कम्प्यूटेशन के कारण उनकी पेंशन दिनांक -----से रु0-----से घटकर रु0-----हो गई है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दैनिक भत्ता उनको देय होगा।

पीपीओ के दोनों भागों अनुबंध-1, विवरणात्मक रोल स्लिप, नमूना हस्ताक्षर तथा उनके फोटोग्राफ आपके संदर्भ और रिकार्ड हेतु भेजे जा रहे हैं।

कृपया इस बात को नोट कर लें कि पीपीओ के दोनों भागों पर भारतीय स्टेट बैंक की भुगतान करने वाली शाखा द्वारा नियमित रूप से प्रविष्टियां की जानी चाहिए। तथा पीपीओ की अनुपस्थिति में बैंक द्वारा पेंशन भोगी को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

अनुरोध है कि सभी प्रासंगिक कागजातों को अब शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ----- शाखा कोड सं0-----को भेजने की व्यवस्था करें ताकि पीपीओ में दर्शायी गई शर्तों के अनुसार पेंशनभोगी को आगे की पेंशन का भुगतान किया जा सके।

भवदीय,

(एस.के. पाठक)
उपनिदेशक (पेंशन)

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. -----।
2. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कोड सं0-----।

(सतीश कुमार)
अनुभाग अधिकारी

कार्यालय ज्ञापन सं० 38/37/08-पी एण्ड पीडब्ल्यू (ए) दिनांक 1.9.2008, 14.10.2008 और
28.1.2003 की शर्तों के अनुसार पेंशनभोगी के पूर्व-2006 के विवरण का समेकन

फाइल सं० 1- / पेंशन	नाम श्री _____, पूर्व _____आईसीएआर मुख्यालय	पीपीओ सं० -
	पेंशन	श्रीमती _____ के संबंध में पारिवारिक पेंशन
(1) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि		
(2) जन्मतिथि		
(3) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को वेतनमान	रु० —	—————
(4) 1.1.2006 को तदनुसार पे बैंड/ ग्रेड-पे	रु० ————— + (ग्रेडपे) - रु० /—	—————
(5) वेतमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन	रु० —————की सीवीपी को कम करके रु० —————	रु० —————/—
(6) # छठे वेतन आयोग की तालिका के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन	रु० —————/—	—————/—
(7) अर्हता प्राप्त सेवा (क्वालिफाइंग सर्विस)	33 वर्ष या 66 एच/वाई	—————
(8) डीओपी एंड पीडब्ल्यू के का. आ. दिनांक 1.9.2008 एवं 14.10. 2008 के अनुसार पेबैंड/ ग्रेडपे का न्यूनतम 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत	रु० —————का 50 प्रतिशत = रु०	रु० ————— x 30 प्रतिशत = रु० —————/—
(9) डीओपी एंड पीडब्ल्यू के का. आ. दिनांक 28.1.2012 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन	रु० /—	रु० /—
(10) डीओपी एंड पीडब्ल्यू के का. आ. दिनांक 1.1.2006 से 23.9. 2012 तक पेंशन/पारिवारिक पेंशन (पैरा 6 या 8 में से अधिक)	रु० /—	रु० /—
(11) 24.9.2012 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन (पैरा 9 या 10 में से अधिक)	रु० —————की सीवीपी को कम करके रु० —————	रु० —————/—
(12) अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, यदि कोई हो	अब लागू नहीं	अब लागू नहीं

#छठे वेतन आयोग के अनुसार तालिका

संबंधित कर्मचारी (डीलिंग हैंड)

अनुभाग अधिकारी

उपनिदेशक (वित्त)

एसबीआई, शाखा पता:-

पेंशनभोगी का पता श्री————

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली
हिंदी अनुभाग

पत्र संख्या आईएसओ प्रमाणन/प्रदर्शन/2013

दिनांक 09 मई, 2013

विषय: आईएसओ सार्टिफिकेशन 90001:2008 पर अनुभाग में प्रदर्शन ।

आज दिनांक 09.05.2013 को हिंदी अनुभाग के सभी उपस्थित कार्मिकों को आईएसओ सार्टिफिकेशन 90001:2008 के बारे में एक विस्तृत प्रदर्शन दिया गया तथा उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जाने के बारे में विस्तार से समझाया गया। इसमें हिंदी अनुभाग के निम्नलिखित कार्मिकों ने भाग लिया।

1. श्री हरीश चन्द्र जोशी, निदेशक (राजभाषा)
2. श्री राजीव उनियाल, टी-9, (व.त.अ., अनुवाद कार्य)
3. श्री मनोज कुमार, टी-7-8, (व.त.अ., अनुवाद कार्य)
4. श्री ओम प्रकाश जोशी, टी-6, (तकनीकी अधिकारी, अनुवाद कार्य)
5. श्री बी.एस.पर्सवाल, टी-6(तकनीकी अधिकारी, अनुवाद कार्य)
6. श्री रवि चंद्रा, निजी सचिव
7. श्री हरि ओम, निजी सचिव
8. श्री रामेश्वर महतो, उ0 श्रेणी लिपिक
9. श्रीमती कुसुम, स्टेनो

कार्यवृत्त

सर्वप्रथम निदेशक राजभाषा ने आईएसओ सार्टिफिकेशन 90001:2008 के बारे में महानिदेशक महोदय के साथ सम्पन्न पिछली बैठक का संदर्भ देते हुए उन्हें इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों से अवगत कराया तथा उसके बाद दिनांक 08 मई, 2013 को एनएएससी परिसर में राइट्स द्वारा प्रदर्शित विभिन्न स्लाइडों के माध्यम से आईएसओ सार्टिफिकेशन 90001:2008 के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा राइट्स से प्राप्त स्लाइडों के माध्यम से हिंदी अनुभाग में फाइलों का रखरखाव तथा आरगेनोग्राम, क्वालिटी पालिसी, क्वालिटी आब्जेक्टिव सहित सभी से इस कार्य में अपनी भूमिका के निर्वहन का दिशा-निर्देश दिया। सभी कार्मिकों से अनुरोध किया गया कि वे उनके पास मौजूद सभी फाइलों, रजिस्ट्रों तथा उन्हें वितरित कार्य का ब्यौरा कम से रखें ताकि समय पर उन्हें प्रदर्शित किया जा सके। राइट्स द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित समय-सीमा से सभी कार्मिकों को अवगत कराया गया तथा सभी ने इस कार्य में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया ।

निदेशक (राजभाषा)

वितरण:

हिंदी अनुभाग के सभी कार्मिकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके पास मौजूद सभी रजिस्ट्रों, फाइलों व दस्तावेजों को आईएसओ सार्टिफिकेशन के अनुसार तैयार रखें ।